

09 AUG 2012

Muni Maya Ram Marg.
T. V. Tower, Pitam Puran
Delhi-110088

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

फा.सं. 05(03)/2012-13/क०सं० एवं भाषा/
सेवा में, 1698-1698

दिनांक: 6/8/12

समस्त विभागाध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली / नई दिल्ली।

विषय: हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन प्रतियोगिता-2012 (हिन्दी में स्वेच्छा से कार्य करने की मूल्यांकन की अवधि 01.10.2011 से 31.03.2012 तक)।

महोदया / महोदय,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से सरकारी कामकाज हिन्दी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी टिप्पण प्रारूपण प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा) का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के अधीन हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड, 20 राजपत्रित अधिकारियों तथा 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार राशि, पदक व प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिये अधिकारी वर्ग के लिये रखे गये 20 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषीय अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है। यदि अहिन्दी भाषीय अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषीय अधिकारियों को दिये जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिये हिन्दी में कार्य करने की मूल्यांकन की अवधि 01.10.2011 से 31.03.2012 तक) निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता की नियमावली एवं फार्म इसके साथ संलग्न है।

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भेजें जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी में किये गये कार्यों से वे स्वयं संतुष्ट हों। साथ में यह भी अनुरोध है कि इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म भी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग/कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 12.10.2011 तक इस विभाग को अतिशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। निरीक्षण संबंधी सूचना अलग से यथासमय दे दी जायेगी।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in पर देखी जा सकती है।

भवदीय,

राजेश सचदेवा

(राजेश सचदेवा)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या : 23392386

630/407
9/8/12

08/08/12

08/08/12

फा.सं. 05(03)/2012-13/क०सं० एवं भाषा/ 1699-1704

दिनांक: 6/8/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
6. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर को विभागीय वेबसाइट में डाउनलोड करने के अनुरोध सहित।

(डॉ नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 23392355

हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमावली
(वर्ष 2011-2012)

1. इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) होगा ।
2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करना है ।
3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लिंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।
4. इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01.10.2011 से 31.03.2012 तक होगी ।
5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों/प्रारूपों की जांच की जायेगी ।
6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द पर कोई आपत्ति नहीं होगी । हिन्दी में नोट लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी/रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ही मानी जायेगी । व्याकरण/वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी-मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।
7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक-एक लाइन माना जायेगा ।
8. हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड भी दी जायेगी, लेकिन अभी तक यह शील्ड पिछले दो-तीन सालों से किसी भी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।
9. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगे (1) अधिकारी वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अधिकारी होंगे तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी जो अपने विभाग में डायरी, डिर्यैच या अन्य सरकारी कार्य जो हिन्दी करते हैं या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया हिन्दी कार्य करने वाले कर्मचारी भी समिलित होंगे ।
10. दोनों वर्गों में निम्नलिखित पुरस्कार होंगे :-

(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	2100/- रुपये (प्रत्येक)
(2) कर्मचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	2100/- रुपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	1500/- रुपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	1100/- रुपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	400/- रुपये (तीस)(प्रत्येक)

- ५८८
11. अधिकारी वर्ग में 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है यदि अहिन्दी भाषीय अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषीय अधिकारियों को दिये जायेंगे।
 12. विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) को प्रतियोगिता के नियमों में तथा पुरस्कारों की राशि में फेरबदल करने का पूरा अधिकार होगा तथा इस संबंध में किसी शिकायत पर विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय सर्वमान्य होगा।
 13. इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्म में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा जिनकी संस्तुति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गई होगी।
 14. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसकोली, दिल्ली विकास प्राधिकरण, हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में कार्यरत कर्मचारी तथा हिन्दी आशुलिपिक इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते।
 15. नियमों की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग से टेलीफोन संख्या 23392355 पर संपर्क किया जा सकता है।

(डॉ नीमा जोशी) ६.८.१२
हिन्दी अधिकारी
दूरभाष संख्या: 23392355

48/1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) 2011-2012 में भाग लेने के लिये
अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाला निर्धारित प्रपत्र :—

(मूल्यांकन की 01.10.2011 से 31.03.2012 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पदनाम :
4. विभाग का नाम व पूरा पता
दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित
(दूरभाष संख्या लिखना अनिवार्य है)
5. हिन्दी में किए गए कार्यों का ब्यौरा
(प्रतिलिपि सहित)
6. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं मोहर